Result Mitra Daily Magazine

सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी में शामिल करने की सिफारिश

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सर्पदंश (Snakebites) को उल्लेखनीय बीमारी (Notifiable Disease) बनाने का आग्रह किया है।
- उल्लेखनीय बीमारी (Notifiable Disease) ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के अस्पतालों को अपने–अपने राज्य सरकारों को कानूनी रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है।
- भारत में सर्पदंश एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहा है।
- भारत में असामयिक मृत्यु के कारणों की जांच करने वाली "इंडियन मिलियन डेथ स्टडी" के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष सर्पदंश के लगभग तीन से चार मिलियन मामले सामने आते हैं, जिनमें से अनुमानत: 58,000 लोगों की सालाना मौत हो जाती है।
- जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने भारत में वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मर्मौतों को आधा करने के अपने लक्ष्य के साथ सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE, National Action Plan for Prevention and Control of Snakebite Envenoming) शुरू की है।

➢ NAPSE ने ही इस बात की सिफारिश की कि सर्पदंश को एक उल्लेखनीय बीमारी बनाया जाना चाहिए।

➢ किस प्रकार की बीमारियों को उल्लेखनीय बीमारी माना जाता है ?

- आमतौर पर ऐसी बीमारियां, जिनसे संक्रमणों के फैलने की संभावना होती है, जिससे मौतें होती है और जिनकी उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने के लिए शीघ्र जांच की आवश्यकता होती है, उन्हें उल्लेखनीय बीमारियों की श्रेणी में रखा जाता है।
- उल्लेखनीय या अधिसूचित बीमारियों की सूची अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है एवं इसके लिए राज्य सरकारें अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।
- अधिसूचित रोग, स्वास्थ्य मंत्रालय को रोग संबंधित सूचना का संग्रह करने और इससे संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में मदद करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम–196 के अनुसार वैश्विक निगरानी और सलाहकार भूमिका में मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को अधिसूचित रोग की रिपोर्टिंग करना आवश्यक होता है।
- भारत में अधिसूचित रोगों की सूची, संक्रामक रोग विनियमन–1981 और उसके बाद के संशोधनों में दी गई है।
- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बीमारियों की सूची में अधिकांश परजीवी, वायरस और बैक्टीरिया जनित रोगों को शामिल किया गया है।
- भारत के अधिसूचित बीमारियों की सूची में हैजा, डिप्थीरिया, इंसेफेलाइटिस, प्लेग, मलेरिया, खसरा, हेपेटाइटिस (A,B,C,E), मेनिनजाइटिस, डेंगू, क्षय और एड्स जैसे प्रमुख रोगों को रखा गया है।

➢ सर्पदंश को बीमारी क्यों माना जाता है ?

- सर्पदंश गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति पैदा कर सकती है, जिसके लिए तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है।
- सर्पदंश पक्षाघात का कारण बन सकता है, जिससे सांस बंद होना, घातक रक्तस्नाव और विभिन्न ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है।
- सर्पदंश से मृत्यु और गंभीर लक्षणों को रोकने के लिए इसका इलाज "एंटीवेनम" से किया जाता है।

➢ किन सांपों का काटना जानलेवा हो सकता है ?

- भारत में सांपों की कुल 310 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें 66 प्रजाति जहरीली और 42 हल्की जहरीली प्रजाति के सांप है।
- 66 जहरीली प्रजातियों के सांपों में से 23 प्रजातियों को चिकित्सीय महत्व का माना जाता है क्योंकि इनके जहर मौत का कारण बन सकती है।

- हालांकि भारत में सर्पदंश के 90% मामले भारतीय कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल, वाइपर और सॉ–स्कल्ड वाइपर के होते हैं।
- व्यावसायिक रूप से सर्पदंश के लिए उपयोग की जाने वाली उपलब्ध "पॉलीवैलेंट एंटीवेनम" उपरोक्त चार सांपों की जहर से प्राप्त किए जाते हैं।
- यह "पॉलीवैलेंट एंटीवेनम" 80% सर्पदंश के खिलाफ प्रभावी होता है।

➢ केंद्र सरकार सर्पदंश को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में क्यों लाना चाहता है ?

- सर्पदंश को सूचित करने योग्य बनाने से इसके उचित निगरानी और पूरे भारत में सर्पदंश के मामलों और मौतों की सटीक संख्या निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।
- केंद्र सरकार सर्पदंश के इस जानकारी का प्रयोग सर्पदंश के मामले को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने, रोकने और नियंत्रित करने के लिए कर सकती है।
- केंद्र सरकार सर्पदंश की अधिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त एंटीवेनम उपलब्ध कराकर सर्पदंश के उपचार के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण प्रदान कर सकती है।
- NAPSE के आंकड़े के अनुसार भारत में अधिकांश सर्पदंश बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के घनी आबादी वाले, कम ऊंचाई वाले एवं कृषि क्षेत्रों में होती है।

➢ सर्पदंश के इलाज में क्या चुनौतियां हैं ?

- सर्पदंश के मामले में अधिकांश सर्पदंश के शिकार लोग या तो समय पर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं या कई लोग इसके बजाय झाड़–फूंक आधारित उपचारकर्ताओं के पास पहुंचते हैं।
- कई मामलों में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के कर्मचारियों को सांप काटने के इलाज के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
- सर्पदंश के उपचार के लिए भारत में उपयोग किया जाने वाला "एंटीवेनम" के लिए लगभग सारा जहर "इरुला जनजाति" द्वारा पकड़े गए सांपों से आता है।
- इरुला जनजाति के लोग मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में रहते हैं।
- एंटी वेनम विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक ही सांप की प्रजाति के जहर का उपयोग जैव रासायनिक घटक और इसका प्रभाव भूगोल के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल में वर्ष 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त अंतरों के कारण देश के एक विशेष भौगोलिक स्थान से जहर के नमूनों के खिलाफ तैयार किए वाणिज्यिक ASV (एंटी–स्नेक–वेनम) में खराब प्रतिरक्षा क्रॉस–न्यूट्रलाइजेशन और विषाक्तता न्यूट्रलाइजेशन दिखाई देता है।

- अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इन सांपों की जहर की शक्ति उम्र के साथ बदलती रहती है।
- उदाहरण के लिए रसेल वाइपर नवजात सांपों का जहर स्तनधारियों और सरीसृपों के लिए वयस्क रसेल वाइपर की तुलना में कहीं अधिक होता है।
- कुछ सर्प प्रजातियां जैसे ब्रैंडेड क्रेट, मोनोकल्ड कोबरा एवं ग्रीन पिट वाइपर के सर्पदंश के विरुद्ध व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एंटीवेनम काम नहीं करता है।
- एंटीवेनम की इन सीमाओं के कारण अब शोधकर्ता कृत्रिम रूप से उत्पादित एंटीबॉडी विकसित कर रहे हैं, जो विभिन्न सांप प्रजातियों में विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में मदद कर सकता है।